इंटरनेट का निलंबन: नियम क्या कहते हैं, SC ने क्या रेखांकित किया है

लेखक - करिश्मा मेहरोत्रा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) एवं III (आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

17 जनवरी, 2020

"भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत जारी किए गए नियम यह बताते हैं कि केवल संघ या राज्य के गृह सचिव ही इंटरनेट के निलंबन के लिए आदेश पारित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस निर्णय के कारणों को बताना भी होगा।"

9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा इंटरनेट बंद करने की शक्ति पर जाँच को काफी मजबूत किया है। फैसले का एक बड़ा पहलू 2017 में पारित नियमों से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि सरकार कब और कैसे इंटरनेट बंद कर सकती है। टेलीकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी) नियमों की अस्थाई निलंबन से पहले देश में दूरसंचार सेवाओं और इंटरनेट को ब्लॉक करने के लिए कोई संहिताबद्ध प्रक्रिया नहीं थी।

नियम क्या कहते हैं?

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत जारी किए गए नियम यह बताते हैं कि केवल संघ या राज्य के गृह सचिव ही इंटरनेट के निलंबन के लिए आदेश पारित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस निर्णय के कारणों को बताना भी होगा।

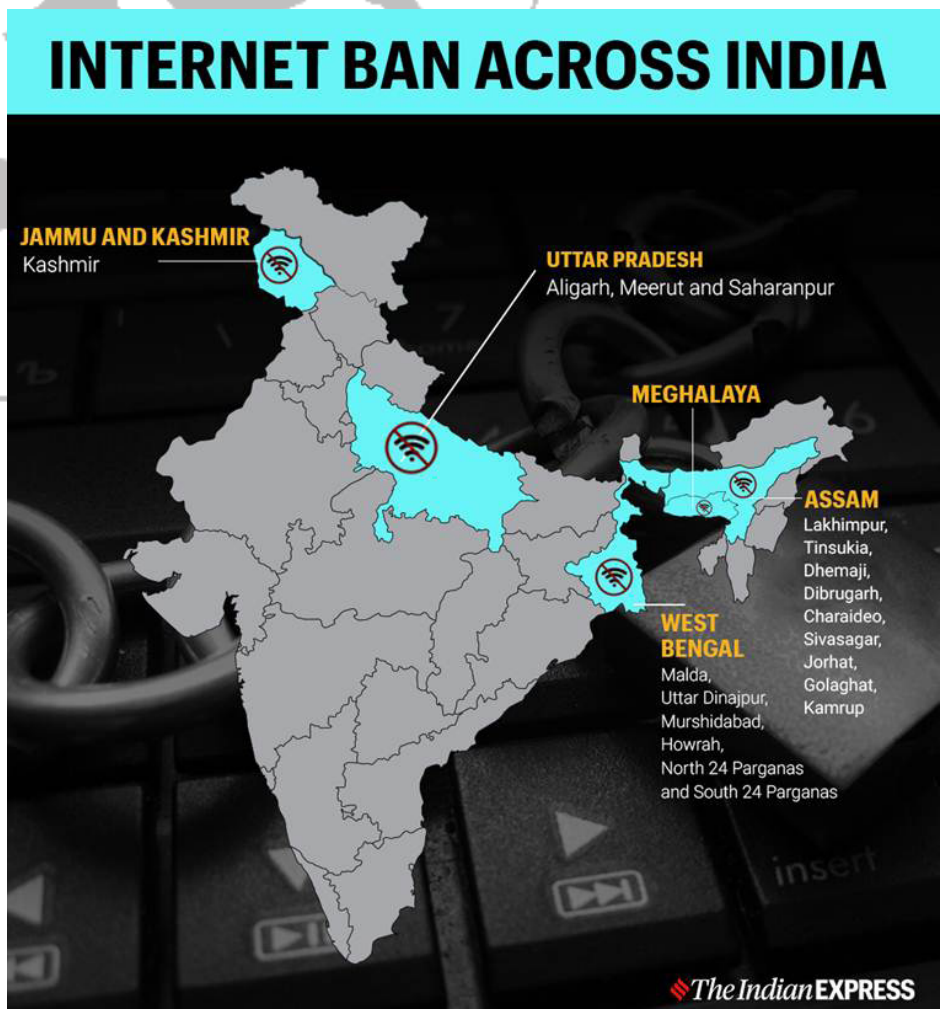

इसके अलावा आदेश जारी होने के अगले दिन एक समीक्षा समिति को भेज दिया जाना चाहिए और टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 (2) के अनुपालन के आकलन के लिए पाँच दिनों के भीतर समिति द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए, जिसके तहत् सरकार के पास सार्वजनिक आपातकाल के दौरान या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संदेशों के प्रसारण को अवरुद्ध करने की शक्ति है।

केंद्र सरकार के मामले में समीक्षा समिति में कैबिनेट सचिव और कानूनी मामलों और दूरसंचार विभागों के सचिव शामिल होते हैं। राज्यों के मामले में समिति

में मुख्य सचिव, कानूनी मामले और राज्य सरकार के एक सचिव (गृह सचिव के अलावा) शामिल होते हैं। 'अपरिहार्य परिस्थितियों' में आदेश केंद्र या राज्य के गृह सचिव द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऐसे अनुरोधों को संभालने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करना चाहिए।

2017 के नियमों को अधिसूचित करने से पहले इस क्षेत्र को कौन-सा कानून नियंत्रित करता था?

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत इंटरनेट शटडाउन का आदेश दिया गया, जो जिला मजिस्ट्रेटों को गंभीर स्थितियों के दौरान व्यापक अधिकार देता है। 2017 के बाद भी इस कानून के तहत् स्थानीय रूप से इंटरनेट को बंद करने के कई आदेश दिए गए हैं। आईटी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 69 (ए) सरकार को समग्र रूप से विशेष वेबसाइटों को ब्लॉक करने की शक्तियाँ प्रदान करती है, न कि इंटरनेट को।

केंद्र ने कभी भी देशव्यापी इंटरनेट बंद करने का आदेश नहीं दिया है। फिर भी भारत वैश्विक स्तर पर इंटरनेट बंद होने की सूची में सबसे ऊपर है। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ट्रैकर के अनुसार, 2012 के बाद से 381 बार शटडाउन हुए हैं, जिनमें से 106 मामले 2019 में हुए थे। कश्मीर में जारी शटडाउन किसी भी लोकतांत्रिक देश में अब तक का सबसे लंबा शटडाउन है।

इंटरनेट एक्सेस से संबंधित अधिकार की स्थिति

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि देश भर में इंटरनेट शटडाउन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और इस प्रकार, इसे असंवैधानिक और अवैध घोषित करना चाहिए।
- गौरतलब है कि जब किसी क्षेत्र में अफवाहों,फेक न्यूज या अन्य कारणों से सरकार या प्रशासन को कानून के प्रवर्तन में समस्या आती है तो प्रारंभिक और निवारक प्रतिक्रिया के रूप में सरकार द्वारा इंटरनेट बंद कर दिया जाता है।

इंटरनेट बंद का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में लगभग 16000 घंटे इंटरनेट बंद रहा जिसकी लागत लगभग 3 बिलियन डॉलर के आसपास होने का अनुमान है।
- राज्यों की बात करें तो 5 अगस्त 2019 से पहले तक सबसे ज्यादा 180 बार जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

- सविधान के अनुच्छेद 19 के तहत् बोलने एवं अभिव्यक्ति की आजादी में इंटरनेट का अधिकार शामिल है।
- इंटरनेट पर प्रतिबंध का अनुच्छेद 19(2) के तहत तालमेल होना चाहिए।
- अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट पर बैन नहीं लगाया जा सकता है। यह केवल एक उचित समयसीमा के लिए हो सकता है और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।
- जब तक विशेषाधिकार का दावा नहीं किया जाता तब तक सरकार प्रतिबंधों के आदेशों को कोर्ट से छिपा नहीं सकती है।
- असहमति की आवाज को दबाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के प्रतिबंध के आदेश नहीं जारी किए जा सकते हैं।
- सीआरपीसी की धारा 144 के तहत् आदेश जारी करते वक्त मजिस्ट्रेट को व्यक्तिगत अधिकार और राज्य की चिंताओं के बीच सामंजस्य बिठाना पड़ेगा।

विश्व के विभिन्न देशों में

- कोस्टारीका - इस देश का सुप्रीम कोर्ट पहले ही सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट को नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बता चुका है।
- एस्तोनिया - इस यूरोपीय देश ने अब से 20 साल पहले वर्ष 2000 में ही देश के हर हिस्से तक इंटरनेट पहुँचाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। तभी इंटनरेट को मूलभूत मानव अधिकार बताया था।
- फिनलैंड - एक दशक से भी पहले फिनलैंड ने 2010 तक देश के हर इंसान तक एक एमबी प्रति सेकंड (1 MB / Sec) स्पीड ब्रॉडबैंड की पहुँच देने का फैसला किया था, जबकि 2015 तक हर किसी तक 100 एमबी प्रति सेकंड (100 MB /Sec) स्पीड का इंटनेट कनेक्शन देने की तैयारी कर ली थी।
- फ्रांस - यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय इंटरनेट को लोगों के लिए मूलभूत अधिकार घोषित कर चुका है।
- ग्रीस - यहाँ के संविधान के अनुच्छेद 15 (ए) में सभी को सूचना समाज (Information Society) में शामिल होने का अधिकार दिया गया है।
- स्पेन - इस देश में यहाँ रहने वाले हर इंसान को उचित कीमत पर कम से कम एक एमबी प्रति सेकंड स्पीड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

सुप्रीम कोर्ट में नियम कैसे सम्मिलित किया गया?

याचिकाकर्ता वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि कश्मीर में इंटरनेट बंद करना नियमों के विरुद्ध है। नियमों में निलंबन की अवधी अस्थायी होनी चाहिए, इसके अलावा सरकार द्वारा दिए गए आदेशों में प्रतिबंधों के कारण नहीं बताए गए हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

अदालत ने कहा क्योंकि नियमों को टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 (2) के अनुसार आदेश की आवश्यकता होती है, यह आदेश 'सार्वजनिक आपातकाल' या 'सार्वजनिक सुरक्षा के हित' के दौरान दिए जाने चाहिए। इसके अलावा निलंबन 'आवश्यक' और 'अपरिहार्य' होना चाहिए।

अदालत ने कहा, 'इसके अलावा, राज्य को कम हस्तक्षेप वाले किसी दूसरे वैकल्पिक उपाय को भी ढूँढना चाहिए।' इसके अलावा अदालत ने कहा कि निलंबन नियमों में कुछ खामियाँ हैं, जिन पर विधायिका द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

इंटरनेट बंद से संबंधित कानून

- ज्यादातर राज्यों में शटडाउन को लागू करने के लिए गृह विभाग के पास इसका अधिकार होता हैं, जिन्हें द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी) रूल्स, 2017 से शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- निर्णयों की समीक्षा राज्य सरकार की समीक्षा समिति द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के पास भी इस कानून के तहत् शक्तियाँ हैं, लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है।
- अन्य प्रासंगिक कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 144 है।
- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 का कम उपयोग किया जाता है, जिसकी धारा 5 (2) केंद्र और राज्य सरकारों को 'सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में' या 'संप्रभुता के हित में' और भारत की अखंडता, राज्य की सुरक्षा' आदि में संदेश के प्रसारण को रोकने की अनुमति देती है।

बेंच ने यह भी कहा कि राज्य को आदेशों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराना चाहिए, भले ही निलंबन नियम इसे निर्दिष्ट नहीं करते हों। बेंच ने फैसला किया कि अनिश्चितकालीन निलंबन 'अस्वीकार्य' है।

अंततः अदालत ने सरकार को अपने आदेश की समीक्षा करने का आदेश देते हुए कहा कि इंटरनेट पर अभिव्यक्ति और व्यापार की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है।

"कानून और प्रौद्योगिकी तेल और पानी की तरह कभी मिल नहीं सकते। लगातार आलोचना हो रही है कि प्रौद्योगिकी का विकास कानून के साथ तालमेल बैठाने में नाकाम रहा है। इस संदर्भ में, पहले हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि कानून तकनीकी विकास के साथ लागू हो और फिर हमे अपने नियमों को लागू करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि समाज की जरूरतों को पूरा किया जा सके।"

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. 'भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसके तहत् केवल संघ या राज्य के गृह सचिव ही इंटरनेट के निलंबन का आदेश पारित कर सकते हैं।
2. इसके तहत् पारित आदेश की समीक्षा केवल केंद्र सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति ही करती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements in the context of 'Indian Telegraph Act 1885'.

1. Only the Union or State Home Secretary can pass the order for suspension of Internet under it
2. The order passed under it is reviewed only by the Review Committee constituted by the Central Government

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

नोट : 16 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'इंटरनेट का निलंबन कई मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर देता है। ऐसे में इंटरनेट का निलंबन तर्कशील प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।' इस कथन के संदर्भ में इंटरनेट निलंबन की प्रक्रिया तथा सर्वोच्च न्यायलय के वर्तमान निर्णय की विस्तृत चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

The suspension of the Internet suspends many fundamental rights. In such a situation, the suspension of the Internet should be part of the rational process. "In the context of this statement, discuss in detail the process of Internet suspension and the present decision of the Supreme Court. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।